अशोक कुमार श्रीवास्तव
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0
शक्ति भवन
14–अशोक मार्ग, लखनऊ
ई–मेल:directorcomm@uppcl.org
फोन : 0522-2287806 (O)
CIN:U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः /मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0 दिनाँकः

प्रबन्ध निदेशक
विद्युत वितरण निगम लि0
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल
वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ

प्रबन्ध निदेशक
केस्को लि0
कानपुर

विषयः निवेश मित्र एवं झटपट पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के बैकएण्ड से निस्तारण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि विद्युत वितरण खण्डों द्वारा अत्यधिक संख्या में निवेश मित्र/झटपट पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को विभिन्न कारणों से बैकएण्ड से रिजेक्ट/एडिट किए जाने का अनुरोध सीधे उ0प्र0पा0का0लि0 के वाणिज्य स्कन्ध से किया जा रहा है। इनमें अधिकांश प्रकरणों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खण्ड द्वारा आवेदन प्राप्ति के पश्चात आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही (जैसे साइट को चेक करना, सिस्टम पर बकाया चेक करना, संयोजन स्थल के विवादित होने की स्थिति का पता करना आदि) किए बिना टी0एफ0आर0/एस्टीमेट अपलोड कर दिया जा रहा है एवं वास्तविक स्थिति का पता लगने पर आवेदन को बैकएण्ड से रिजेक्ट किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। इस क्रम में निवेश मित्र पोर्टल एवं झटपट पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के अपरिहार्य स्थिति में बैकएण्ड से निस्तारण किए जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है–

1. निवेश मित्र/झटपट पोर्टल पर प्राप्त किसी आवेदन हेतु **'अपलोड किये गये प्राक्कलन तथा मांग पत्र को किसी उचित कारण से परिवर्तित किये जाने'/'किसी अन्य गलत इन्ट्री को सुधारे जाने'/'आवेदन को एस्टीमेट के भुगतान के पश्चात किसी उचित कारण से निरस्त किए जाने'** आदि की आवश्यकता की स्थिति में सम्बन्धित वितरण खण्ड द्वारा वितरण निगम के मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के अधीन कार्यरत एच0वी0 सेल/झटपट पोर्टल से सम्बन्धित सेल को इस परिवर्तन का स्पष्ट कारण अवगत कराते हुए तथा सभी आवश्यक प्रपत्रों को संलग्न करते हुए अनुरोध किया जायेगा।
2. एच0वी0 सेल/झटपट पोर्टल से सम्बन्धित सेल द्वारा इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त होने पर प्रकरण का गहनता से परीक्षण किया जायेगा। यदि परीक्षणोपरान्त **'अपलोड किये गये प्राक्कलन तथा मांग पत्र को किसी उचित कारण से परिवर्तित किये जाने'/'किसी अन्य गलत इन्ट्री को सुधारे जाने'/'आवेदन को एस्टीमेट के भुगतान के पश्चात किसी उचित कारण से निरस्त किए जाने'** आदि की आवश्यकता पाई जाती है, तो वितरण निगम के निदेशक (वाणिज्य) की संस्तुति पर निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा बैकएण्ड से रिजेक्शन की अनुमति प्रदान की जाएगी। वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक की अनुमति पर वितरण निगम के आई0टी0 विंग द्वारा ही बैकएण्ड से रिजेक्शन/एडिटिंग की कार्यवाही की जाएगी।
3. इस प्रकार की अनुमति देते समय यदि वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा यह पाया जाता है कि प्रकरण में स्थल निरीक्षण में किसी प्रकार की लापरवाही की गई है, तो सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही भी की जाएगी, जिससे यह एक रूटीन प्रक्रिया न बन जाए।
4. भविष्य में ऐसे किसी भी प्रकरण, जो उ0प्र0पा0का0लि0 को सीधे खण्ड/मण्डल/क्षेत्र से प्राप्त होगा, पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। समस्त कार्यवाही वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक की संस्तुति पर वितरण निंगम की आई0टी0 विंग द्वारा की जाएगी।

भवदीय

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)